आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आरबिट्रेशन अपील वाद संख्या–07 / 2022

श्री राम सागर साह

बनाम

बिहार सरकार व अन्य

आदेश / अवार्ड

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
16.05.2023	प्रस्तुत Arbitration वाद श्री राम सागर साह पिता–स्व0 सरयुग साह, ग्राम–हरिनगर, थाना–नानपुर, जिला–सीतामढ़ी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0– 527 C अन्तर्गत अधिग्रहित जमीन खाता सं0–2063 खेसरा सं0–6815 के उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया है। दिनांक–01.04.2023 को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता से प्राप्त प्रतिवेदन वादी को हस्तगत कराया गया तत्पश्चात् सुनवाई प्रारंभ की गयी। वादी के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि अधिग्रहित की जा रही भूमि को आवासीय मानते हुए मुआवजा का निर्धारण नहीं कर वर्ग–1 के रूप में वर्गीकृत करते हुए मुआवजा का निर्धारण किया गया है, जो गलत एवं अन्यायपूर्ण है। दिनांक–18.04.2023 को सुनवाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित अभिकथन	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	समर्पित करते हुए उल्लेख किया है कि NHAI Act-1956 की धारा–3G (5) के अधीन वादी द्वारा समर्पित वाद पत्र स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह मुआवजा राशि के निर्धारण के बजाये जमीन के वर्गीकरण से संबंधित है। सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा वादी के वाद पत्र के प्रत्युत्तर में अपने कार्यालय के पत्रांक–347 दिनांक–25.03.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है खेसरा सं0–6815 में अर्जनाधिन भूमि कुल 0.275 हे0 भूमि में से रकवा 0.081 हे0 को आवासीय तथा शेष रकवा 0.194 हे0 वर्ग–1 भूमि में वर्गीकृत करते हुए मुआवजा का निर्धारण किया गया है। वादीं के विद्वान अधिवक्ता, NHAI के विद्वान अधिवक्ता, DLAO, सीतामढ़ी को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी का मुख्य दावा भूमि की प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन कर मुआवजा भुगतान से संबंधित है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक–347 दिनांक–25.03.2023 द्वारा यह स्वीकार किया है कि अधिग्रहित भूमि का 3D गजट प्रकाशन के अनुरूप वर्ग–1 मानते हुए भूमि का मूल्यांकन किया गया है। उक्त के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि Ministry of Road transport and highways, Government of India के पत्रांक–NH-11011/30/2015-LA दिनांक–28.12.2017 के अनुसार भूमि की प्रकृति 3A अधिसूचना के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जिसका राजस्व अभिलेख खतियान होता है। साथ ही इस संबंध में MORTH के पत्रांक–NH-11011/30/2015-LA दिनांक–28.12.2017 के कंडिका–10 (iii) में उल्लेखित प्रावधान हैः– **“Certain undesirable practices have come to**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

notice of the Central Government. These include change in the nature of land or adoption of incorrect classification of land for determination of market value of land. it may be noted that the nature of land has to be taken as recorded in the revenue records on the day of publication of section-3A notification. for instance, if some landowner/interested person has raised a factory building or a commercial building upon the land under acquisition without obtaining the "Change in Land use" from the competent authority prescribed by the State Government, he/she cannot take the benefit of treatment of such land as industrial" or "commercial".

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी को मुआवजा का भुगतान किया गया है। साथ ही वादी का मुख्य दावा भूमि के प्रकृति को लेकर है परन्तु उनके (वादी) द्वारा प्रश्नगत भूमि का संपरिवर्तन नहीं कराया गया है। अतएव उनका यह दावा भी मान्य नहीं हो सकता है।

अतएव जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा भुगतान संबंधी पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाए।

लेखापित एवं संशोधित

**आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।**

**आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।**

WEB COPY NOT OFFICIAL